प्रेस नोट –

थाना बबीना, जनपद झाँसी

दिनांक 03.07.2025

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, झाँसी के कुशल निर्देशन में झाँसी पुलिस द्वारा अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध की जा रही प्रभावी कार्यवाही के क्रम में थाना बबीना पुलिस द्वारा आबाकारी विभाग से समन्वय स्थापित कर अवैध शराब के निष्कर्षण तथा बिक्री के विरूद्ध चलाये जा अभियान में दिनांक 02.07.2025 समय 18:45 बजे को अमन ढाबा झांसी-ललितपुर हाईवे, बडौरा चौराहा, थाना बबीना, झांसी से अभियुक्त 1. कमलेश राय पुत्र केदार राय उम्र 42 वर्ष निवासी ग्राम बडौरा थाना बबीना जनपद झांसी (गिरफ्तार) 2. नितेश राय पुत्र केदार राय उम्र 36 वर्ष निवासी ग्राम बडौरा थाना बबीना जनपद झांसी (भागा हुआ) 3. रामबाबू राय पुत्र मेवालाल राय उम्र 54 वर्ष निवासी ग्राम बडौरा थाना बबीना जनपद झाँसी (भागा हुआ) के कब्जे से 09 ड्रमों में कुल लगभग 1700/- लीटर अवैध रूप से भण्डारित एथेनॉल (कीमत करीब 01 लाख 20 हजार रुपये) बरामद हुआ। जिसके सम्बन्ध में थाना स्थानीय पर अभियुक्तों के विरुद्ध मु0अ0स0 162/2025 धारा 60(1)/63/72 आबकारी अधिनियम व 318(4) बीएनएस का अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की गयी।। गिरफ्तार अभियुक्त कमलेश राय पुत्र केदार राय उम्र 42 वर्ष निवासी ग्राम बडौरा थाना बबीना जनपद झांसी को माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया गया।

अभियुक्त कमलेश राय उपरोक्त द्वारा पूछताछ के दौरान बताया गया कि वह एथेनाऑल को पेट्रोल में मिलाकर आर्थिक लाभ कमाने के उद्देश्य से लोगों को बेचता है, इस काम में उसके साथ उपरोक्त नितेश राय तथा रामबाबू राय बराबर रूप से शामिल है तथा साझीदार है।

अभियुक्त का विवरण-

1. कमलेश राय पुत्र केदार राय उम्र 42 वर्ष निवासी ग्राम बडौरा थाना बबीना जनपद झांसी (गिरफ्तार)
2. नितेश राय पुत्र केदार राय उम्र 36 वर्ष निवासी ग्राम बडौरा थाना बबीना जनपद झांसी (भागा हुआ)
3. रामबाबू राय पुत्र मेवालाल राय उम्र 54 वर्ष निवासी ग्राम बडौरा थाना बबीना जनपद झाँसी (भागा हुआ)

बरामदगी- 1700/- लीटर अवैध रूप से भण्डारित एथेनॉल **(कीमत करीब 1 लाख 20 हजार रुपये)**

गिरफ्तारी/बरामदगी करने वाली टीम – आबकारी विभाग की टीम व थाना बबीना पुलिस टीम